

फर्द अहकाम
(नियम 26)

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम-सिरोही(राज.)

प्रार्थीया बनाम अप्रार्थी
1. प्रवीणा बेन पत्नि श्री पुरण सिंह जाति राजपूत नि. इन्द्रापुरी कॉलोनी, गोयली तहसील व जिला सिरोही 1.स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही


किस्म मुकदमा,

राजस्व प्रा0पत्र अधारा 136 एल.आर.एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 96 / 2024

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
04-09-2024	<p>पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी श्री दलपत परमार व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2024/705 दिनांक 04-09-2024 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई । प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई । हमने वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली/दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया ।</p> <p>सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर.एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा पाडीव के वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 300 खसरा संख्या 670 रकबा 0.6700 है0 में प्रवीणा बेन पुत्र पुरणसिंह के स्थान पर प्रवीणा पत्नि पुरणसिंह संशोधन कर उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावे निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।</p>	




लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही
(उपबण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)